



## प्रेस नोट

### जनपद सीतापुर

## जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:-.31.08.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

इस क्रम में दिनांक 30.08.2021 को थाना लहरपुर पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा जनपद की सीमा से छः माह के लिये निष्कासित किये गये जिला बदर अभियुक्त रामू पुत्र सटल्लू निवासी रिछौनौ थाना लहरपुर जनपद सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 415/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

### पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 415/21 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना लहरपुर सीतापुर

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता-

- रामू पुत्र सटल्लू निवासी रिछौनौ थाना लहरपुर जनपद सीतापुर

### पुलिस टीम थाना लहरपुर:-

1. प्र0नि0 श्री मनीष कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री पवन कुमार मिश्र
3. हे0का0 धर्मेन्द्र यादव
4. आरक्षी अरविन्द कुमार
5. आरक्षी रोबिन सिंह

# कोतवाली लहरपुर

जनपद सीतापुर

